© 2019 IJSRSET | Volume 6 | Issue 6 | Print ISSN: 2395-1990 | Online ISSN : 2394-4099
Themed Section : Engineering and Technology
DOI : 10.32628/IJSRSET196650

समावेशी शिक्षा में लैंगिक समानता एवं नैतिक मूल्य

राजीव रंजन सिंह **(Lecturer)**
इण्टर कॉलेज नवतन
शोध छात्र,
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, बिहार

प्रस्तावनाः–स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान द्वारा सभी को एक समान शिक्षा पाने क अवसर प्रदान करने के लिए अनेक कानूनी प्रावधान किए गए थे। परन्तु शिक्षा के संशोधित कानून RTE (Right to Education Act) 2009 Act के द्वारा 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा देना अनिवार्य एवं कानूनो रूप प्रदान किर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्त्तन लाने का प्रयास किया गया है। शिक्षा के समवर्ती सूचित में होने के कारण केन्द्र एवं राज्य दोनों की सरकारें अपने स्तर पर अनेक योजनाएं बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु क्रियान्वित करती है।

परन्तु दुर्भाग्यवश आज भी महिला शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति अत्यन्त दयनिय बनी हुई है। भारत की आजादी के पश्चात महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। भारत की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती है अतः देश की तरक्की का आधा भार भी महिलाओं के कन्धों पर निर्भर करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरूषों की साक्षरता 82.14% की तुलना में महिला साक्षरता 65.46% यह दिखलाता है कि भारत में महिलाओं की शिक्षा का स्तर आज भी काफी निम्न है तथा यसह निराशाजनक स्थिति को प्रदर्शित करता है।

भारत मे महिलाओं की समाजिक स्थिति में सुधार हेतु अनेक संवैधानिक प्रावधान किए गए है। सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1987, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, भ्रूण हत्या तथा इस प्रकार के कार्यों को रोकने हेतु 1991 में अधिनियम लाया गया। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्य को आगे बढाने तथा शिक्षा में लैंगिक समानता लाने के उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 को बेटी–बचाओ, बेटी–पढ़ाओं नाम से एक योजना की शुरूआत की है ताकि इस खाई का पाटा जा सके। परन्तु महिलाओं हेतु किए गए समस्त संवैधानिक एवं सुरक्षात्मक उपाय के बावजूद जमीनी हकीकत इससे कहीं अलग है। आज भी हमाररे समाज में महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है।

संविधान में वर्णित समान अधिकार के बावजूद यह कहना व्यंग्यात्मक होगा कि आज भी सत्रियों की स्थिति देश में संतोषजनक है। महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण सिर्फ एक महिला से जुड़ा मसला नहीं है, अपितु उनके सशक्त एवं शिक्षित हाने भर से परिवार, गाँव तथा अन्नतः राष्ट्र का विकास होना निश्चित हो जाता है। आसान शब्दों में उन्हें इस योग्य बनाना है, ताकि वे अपने हित के फैसले ले सकें एवं अपने निर्वाह हेतु अनुकूल दशाएँ तैयार कर सकें, एवं इसके अलावा उन्हें सामाजिक

आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो, साथ ही उन्हें सशक्त एवं सक्षम बनाया जा सके। इस हेतु समावेशी शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपागम हो सकता है।

समावेशी शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता एवं नैतिक विकासः–

समावेशन का समान अर्थ है– सबको एक साथ लेकर चलना। शिक्षा में समावेशन से तात्पर्य है समान्य तथा विशिष्ट विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना। यहाँ विशिष्ट छात्रों से तात्पर्य है वह छात्र जो किसी कारणवश शिक्षा पाने में पिछड़ गये है। इनमें शारीरिक रूप से पिछड़े छात्र तो है हि वर्तमान समस्या लैंगिक रूप से पिछड़ी हुई बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति ज्यादा भयावह है।

भारतीय संस्कृति पुरूष प्रधान है। समाज में आदिकाल से चली आ रही परम्परा में स्त्री एवं पुरूषों को सैधांतिक रूप से तो एक समान माना गया। परन्तु इसका व्यवहारिक पक्ष इससे इतर ही रहा है। वैदिक कालिन समाज में स्त्रीयों की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। परन्तु धिरे–धिरे इसमें ह्रास होता चला गया। आज वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में बालिकाओं की शिक्षा को एक बुरा निवेश ही माना जाता है। जिसका प्रमुख कारण समाजिक नैतिकता का पतन है।

वैश्विक लैंगिक सूचकांको में खराब स्तर का प्रदर्शन भारत में लैंगिक असमानता को दर्शाता है। यू. एन. प्रे.पी. लिंग समानता सूचकांक 2014 में कुल 152 देशों में भारत का स्थान 127 वाँ था। वहीं 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात 1000 : 943 तथा सक्षारता दर पुरूषों के 82.14% की तुलना में महिला साक्षरता दर 65.46% होना लैंगिक असमानता को दर्शाता है। महिलाओं के साथ अत्याचार, दहेज उत्पीड़न, भ्रुण हत्या आदि के कारण समाज में महिलाओं की स्थिति समाज में काफी दयनीय है।

व्यक्ति, समाज और अन्ततः पुरे विश्व को उन्नत करने के लिए विद्यार्थियों में नैतिक और चारित्रिक दृढ़ता का होना अत्यन्त आवश्यक है और आधी–आबादी (स्त्रीयों) के बिना इसकी कल्पना बेमानी सी लगती है। सिर्फ उपदेश देकर नैतिकता या चारित्रिकता का पाठ तो पढ़ाया जा सकता है पर उसे छात्रों के आचरण में नहीं बदला जा सकता है पर उसे छात्रों के आचरण में नहीं बदला जा सकता है। यह तभी संभव है जब परिवार, समाज अध्यापक सभी मिलकर व्यक्तित्व के अनुकरण द्वारा छात्राों को शिक्षा प्रदान करें और यह तभी संभव है जब हम आधी आबादी को भी इस प्रक्रिया में शामिल करें।

समावेशी शिक्षा द्वारा बालकों में समायोजन क्षमता का विकास समान रूप से हो सकता है। इसके द्वारा लैंगिक रूप से पिछड़ी बालिकाओं को भी स्वयं को समाज में समायोजित करने हेतु नैतिक एवं चारित्रिक बल मिलेगा और वह स्वयं को पुरूषों के समान समझेंगी तथा उनसे कंधे से कंधा मिलाकर समाज को प्रगति पथ पर ले जाने में अपना सहयोग देने हेतु तत्पर हो सकेंगी।

नैतिक मूल्य एवं लैंगिक समानता के विकास में सबसे अधिक प्रभावी अंग परिवार, समाज तथा विद्यालय है जहाँ से नैतिक मूल्य एवं लैंगिक समानता का विकास होता है। अतः परिवार, समाज व विद्यालय स्तर पर नैतिक मूल्य एवं लैंगिक समानता के विकास के लिए प्रभावि कार्य योजना का निर्माण अवश्य किया जाना चाहिए।

समावेशी शिक्षा द्वारा उपर्युक्त आवश्यकताओं की पूर्त्ति बड़े ही सरल तरीके से किया जा सकता है। विद्यालय स्तर पर प्रातः सभा, साक्षर योजना कार्यक्रम, अन्तः निष्ठा वार्तालाप कार्यक्रम, राष्ट्रीय उत्सव व सांस्कृतिक त्योहारों का आयोजन मूल्य शिक्षा कार्यक्रम को पाठ्यक्रम में स्थान, स्कॉउट और गाइड के कार्यक्रम का प्रशिक्षण, बाल संवाद, मीना मंच, किशोरी मंच आदि का गठन कर विद्यालय क्रियाकलापों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाता है ताकि बालिकाएं स्वयं को समाज के साथ जोड़ कर अपनी क्षमताओं का स्वाभाविक विकास कर सकें।

समावेशी शिक्षा द्वारा इस प्रकार का परिदृश्य उत्पन्न कर दिया जाता है कि समाज तथा छात्राएं दोंनों ही इस प्रक्रिया में स्वाभाविक से सहभागी हो जाते है। इस प्रक्रिया में छात्र–छात्राओं एवं अभिभावकों क साथ माह में कम से कम एक बार सामूहिक मंत्रणा के कार्यक्रम तय किये जाते हैं। इसके लिए छात्र–छात्राओं एवं अभिभावकों से संवाद स्थापित कर लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता तथा नैतिक मूल्यों के विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

सारांश

संविधान में प्रदत अनेक कानूनी प्रावधान के बावजूद दुर्भाग्यवश आज भी महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति अत्यन्त ही दयनिय बनी हुई है। 82ण्14ः पुरूष साक्षरता दर की तुलना में 65ण्46ः महिला साक्षरता दर का होना महिलाओं की शिक्षा के निराशाजनक स्थिति को प्रदर्शित करता है। आज भी हमारे समाज में महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। दहेज प्रथा, अहिंसा, कन्या भ्रुण हत्या आदि ने इस स्थिति को और भी ज्यादा भयावह बना दिया है। महिलाओं की इस स्थिति की जिम्मेवार दहेज प्रथा आदि जैसी सामाजिक कुरूतीयों ने इसे बल प्रदान किया है। समाज में व्याप्त इस लैंगिक असमानता का मुख्य कारण महिलाओं में शिक्षा का अभाव है। जिसे केवल शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा का प्रत्यय शिक्षा द्वारा लैंगिक असमानता को दूर करने तथा महिलाओं के नैतिक विकास हेतु मिल का पत्थर हो सकता है। इस प्रणाली की विशेषता यह है कि इसमें महिलाओं तथा पुरूषों तथा सभी प्रकार के पिछड़े बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। इससे सभी छात्रों में विशेषकर बालिकाओं में आत्मसम्मान तथा बराबरी का भाव उत्पन्न हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथी सूची

1. भटनागर, ए.बी., भटनागर अनुराग, नीरू ,(2017) समावेशी शिक्षा, मेरठ, आर. लाल. बुक डिपो।
2. अग्निहोत्री, (1969) भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ, दिल्ली, रिसर्च पब्लिकेशन्स।
3. अग्निहोत्री, पी. (2002), शिक्षा की भारतीय परम्परा आदर्श प्रयोग, दिल्ली, एन. सी. ई. आर. टी.।
4. अग्रवाल, उमेशचन्द्र, (2006), "आधुनिक भारतीय शिक्षा के बदलते आयाम", कुरूक्षेत्र, अंक –11 वर्ष 52, सितम्बर।
5. शोधगंगा
6. W.W.W.ERIC.Com